Musaddi Lal Charitable trust IV 430/99

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु.

FIFTY RUPEES

यह सार्वजनिक न्यास { ट्रस्ट } का अनुबन्ध पत्र [Deed of Public Trust] आज दिनांक 16.03.99 का श्री प्रताप कुमार मित्तल पुत्र स्व0 श्री राम कृष्ण अग्रवाल आयु 57 वर्ष पता - बी-137, अशोक नगर , गाजियाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है ।

चूँकि सेठ मुसद्दीलाल एक समाज सेवक थे और उन्होने गरीबों की सेवा सहायता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था ।

ऐसे समाज सेवक एव महान व्यक्तित्व का प्रशसक तथा अनुयायी होने के नाते उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाये रखना एवं उनके स्वप्न को पूरा करने का अपना पुनीत कर्तव्य समझकर मै प्रताप कुमार मित्तल सर्व साधारण के हितार्थ विशेष रूप से अपने समाज के कमजोर उपेक्षित निर्धन वर्ग की सेवा के भाव से एक सार्वजनिक धमार्थ न्यास का निमार्ण कर रहा हूँ ।

इस निमित्त मे अपने पास से रूपये 5,000/- { पांच हजार } मात्र देकर न्यास का निमार्ण करता हूँ ।

इस पुनीत कार्य मे मैं अपने सहित निम्न बन्धुओ को प्रन्यासी मनोनीत करता हूँ :-

1. श्रीमती बीना अग्रवाल पुत्री श्री रामसरन दास निवासी-132,के.बी. सबस्टेशन, आगरा बाई पास, आगरा ।
2. श्री शलभ कुमार अग्रवाल पुत्र श्री के.के.अग्रवाल, निवासी-132,के.बी. सबस्टेशन, आगरा बाई पास, आगरा ।
3. श्रीमति सरस्वती गुप्ता पत्नी स्व0 श्री यशपाल गुप्ता निवासी-निकट ककराला सबस्टेशन, ऊँची सडक, खुर्जा ।

यही ट्रस्टी गण ट्रस्ट के प्रथम प्रन्यासी मंण्डल के सदस्य माने जायेगें । अत: इस अनुबन्ध पत्र के माध्यम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास { ट्रस्ट } की घोषण करता हूँ इस न्यास की शर्ते तथा नियम [Terms and Conditions] निम्न रहेगें :-

1. इस न्यास { ट्रस्ट } का नाम सेठ मुसद्दीलाल धर्माथ ट्रस्ट रहेगा।

Patap Kumar Mittal

14 16/3/99

सेठ मुसद्दी लाल इमारत रूड़ी
भा० क्लब

सेल डीड
5000/-

रजि० शुल्क 100/- प्रतिलिपि शुल्क 20/- योग 120/- शब्द 1600

प्रताप कुमार मित्तल
स्व० श्री राम कृष्ण अग्रवाल
बी-137 अशोक नगर गाजियाबाद

दिनांक ...... समय 2-3
16/3/99

16.3.99

गाजियाबाद 16/3/99

Pratap Kumar Mittal

इस लेख का निष्पादन, प्रतिफल ...
प्रताप कुमार मित्तल ने स्वीकार किया

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS

2. न्यास { ट्रस्ट } का पंजीकृत कार्यालय: बी.137,अशोक नगर, गाजियाबाद रहेगा।

3. उपरोक्त आकाक्षा की पूर्ति निमित्त तथा ट्रस्ट के धर्मार्थ उददेश्यो [Charitable Objects] जो नीचे उदधृत किये जा रहे हैं कि पूर्ति हेतु न्यास का कार्य चलाने निमित्त न्यास के निर्माण कर्ता ने 5,000 /- { पांच हजार } मात्र जो राशि दी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी , इस सम्पत्ति को किसी दशा मे वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

4. ट्रस्ट का कोष : उपरोक्त रूपये 5,000/- के साथ अन्य सहयोगी राशिया दान भेट ,ब्याज,किराया अन्य किसी प्रकार की आय जो न्यास को समय-समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी ।

5. ट्रस्ट का उददेश्य : प्रन्यासीगण भारत में सर्वसाधारण के धर्मार्थ हितों के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय का उपयोग करेगे । न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों मे किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय,जाति,पन्थ,रंग आदि के कारण भेद नही किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पंथ , सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा । न्यास के कार्यों का उददेश्य किसी भी प्रकार आर्थिक लाभ अर्जन करना नही होगा वरन समस्त कार्य धर्मार्थ सेवाभाव से ही किये जायेगे न्यास के निम्न उददेश्य है :-

मुख्य मूल उददेश्य :

(क) समाज मे शिक्षा के विकास के लिये कार्य करना। इस निमित्त विद्यालय,कोचिंग कक्षायें, प्रोढ शिक्षा केन्द, प्रावैधिक { टैक्नीकल } शिक्षा केन्द्र छात्रावास, शिक्षा पर गोष्ठीयां, अध्यापक शिक्षण वर्ग आदि चलाना अथवा इनको सुचारु रूप से चलाने मे अन्य सम उददेश्य वाली संस्थाओ का सहयोग करना, उनकी आर्थिक सहायता करना, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति पदान करना ।

(ख) सर्व साधारण के स्वास्थ के निमित्त चिकित्सालय,डिसपेंसरी, रक्त बैंक, औषधि बैंक, सचल चिकित्सालय, चिकित्सा शिविर, गोष्ठीयां , रोग

Pratap Kumar Mittal

15 16/3/99
14

गाजियाबाद (यू०पी०)

जिनकी पहिचान श्री विवेक मित्तल
पुत्र श्री प्रताप कुमार मित्तल
निवासी K-E 81 कवि नगर गा०बाद
शरद कुमार
पुत्र श्री के० के० अग्रवाल
निवासी B-137 अशोक नगर गा०बाद
करते हैं।

16.3.99
उप निबन्धक
गाजियाबाद
16/3/99

Pratap Kumar Mittal

Sharad

उपरोक्त साक्षी [illegible] निशानी अंगूठा नियमानुसार
[illegible] प्रतीत होते हैं।

16.3.99

उप निबन्धक [illegible]

1?/3/99

शिविर आदि का संचालन करना अथवा इनके संचालन में सहय प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता करना निर्धन रोगियों को सहय करना ।

(ग) समाज के दुर्बल और निर्धन वर्ग की आर्थिक दृष्टि से उन्नति के लि कार्य करना तथा उनका पुनरुत्थान करना ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विकास कार्यक्रमों को चलाना

(च) उपेक्षित बस्तियों में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं यथा पा शौचालय,स्वच्छता आदि की पूर्ति हेतु कार्य करना ।

(छ) भारतीय इतिहास, संस्कृति,कला,संगीत,साहित्य आदि के संवर्धन त सम्यक ज्ञान व प्रसार के लिए कार्य करना ।

(ज) समाज में श्रेष्ट सस्कारों के विकास एव जागरण के लिए कार्य करना

(झ) समाज सेवा में संलग्न समर्पित कार्यकर्ताओं के योग-क्षेम की चि करना आवश्यकता पड़ने पर उनको मान-धन देना । उनका सम्म करना और आवासीय केन्द्र चलाना ।

(ट) संस्था के उददेश्यों के पूर्ति में सहायक व्यक्तियों , संस्थाओं को आर्थि नैतिक सहयोग देना तथा उनसे प्राप्त करना । तथा सभी कार्य कर जो न्यास मंडल की दृष्टि में न्यास के उददेश्यों की पूर्ति में सहायक ह

5 { 2 } सहायक कार्यवश उददेश्य :

संस्थान के मुख्य उददेश्यों की पूर्ति में सहायक उददेश्य निम्न है :-
संस्था के उपरोक्त कार्यों को सुचारु रूप से चलाने तथा न्यास के सम्पू प्रबन्धों के लिए प्रन्यासी मण्डल को निम्न अधिकार होगें ।

(क) संस्था के धन का उपयोग संस्थान के समस्त उददेश्यो अथवा किसी विशिष्ट उददेश्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार हो

Pratap Kumar Mittal

क्र० 16 ता० 16/3/49 रु० ... SDL

[illegible] 14 में शामिल किया

[illegible] चन्द स्टाम्प विक्रेता

जिला गाजियाबाद (यू०पी०)

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. 50RS.

FIFTY RUPEES

संस्थान के शेष, अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून 1961 के अनुसार किया जायेगा ।

(ख) संस्थान के लिये दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप मे प्रयोग करना अथवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना ।

(ग) संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना । चल-अचल, दर्शनीय-अदर्शनीय, सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारो उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा ।

(घ) संस्थान के कोष को प्रन्यासी मंडल के निर्देशानुसार समय-समय पर विनियोग करना , उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना ।

(च) किसी भी प्रकार के विवाद मे आवश्यकतानुसार निर्णय लेना ।

6. <u>संस्थान का प्रबन्ध एवं संचालन</u> :

6.(1) संस्थान का प्रन्यासी मंडल संस्था के कोष तथा संस्थान के कार्यों के संचालन के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा । प्रन्यासी मंडल का बहुमत से किया गया निर्णय समस्त प्रन्यासी गणों के लिए मान्य होगा । प्रन्यासी मंडल समय-समय पर आवश्यकतानुसार संस्थान के कार्यों के संचालन एवं प्रबन्ध के लिए नियम, उपनियमों का निमार्ण कर सकेगा उनमें परिवर्तन एवं संवर्धन कर सकेगा ।

6.(2) न्यास (ट्रस्ट) के प्रन्यासी मंडल में प्रन्यासी गण संस्थान के हितों को दृष्टिगत रखकर किन्हीं लोगों को बहुमत से प्रन्यासी मनोनीत कर सकेगें ऐसे मनोनीत प्रन्यसी अन्य प्रन्यासियों के समान प्रन्यासी मंडल के सदस्य होगें परन्तु किसी भी दशा में प्रन्यासी मंडल के सदस्यों के संख्या 21 से अधिक नही होगी । प्रन्यासी मडल मे कोई स्थान रिक्त होने की दशा मे शेष प्रन्यासी गण बहुमत से उस स्थान की पूर्ति कर सकेगें ।

Pratap Kumar Mittal

17 16/3/08
14

......में शामिल किया
स्टाम्प विक्रेता
गाजियाबाद (यू०पी०)

50 Rs.

7\. <u>सदस्यता समाप्ति</u> : निम्न कारणों से किसी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

(क) त्याग-पत्र देने तथा उसके स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर ।

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध दण्डित होने पर ।

(ग) पागल घोषित होने पर ।

(घ) न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर प्रन्यासी मंडल द्वारा 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित होने पर ।

8\. न्यास के समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा लाभांश, सुविधा, अनुग्रह आदि के रूप में अथवा संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासी गणों को ना तो प्रदान और ना ही स्थान्तरित किया जा सकेगा आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थो [Interested Persons] वाले लोगों को भी यह नही हो सकेगा परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों प्रन्यासी गणों को सेवा कार्य के आधार पर समय-समय पर वेतन पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा इस वेतन पारिश्रमिक का निणर्य किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय समय पर प्रन्यासी मंडल करेगा ।

9\. <u>न्यास भंग होने पर</u> : प्रन्यासी मंडल द्वारा 3/4 प्रन्यासी गणों के निर्णय से न्यास (ट्रस्ट) को भंग किया जा सकेगा । न्यास भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल-अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उददेश्य वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा । इसका निणर्य भी प्रन्यासी मंडल बहुमत से करेगा किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मंडल के सदस्यों में नही बांटा जा सकेगा ।

Pratap Kumar Mittal

क्र०....18....ता०....16/3/09.... [illegible handwriting] ता०
स्टाम्प नं०....14.... में शामिल किया

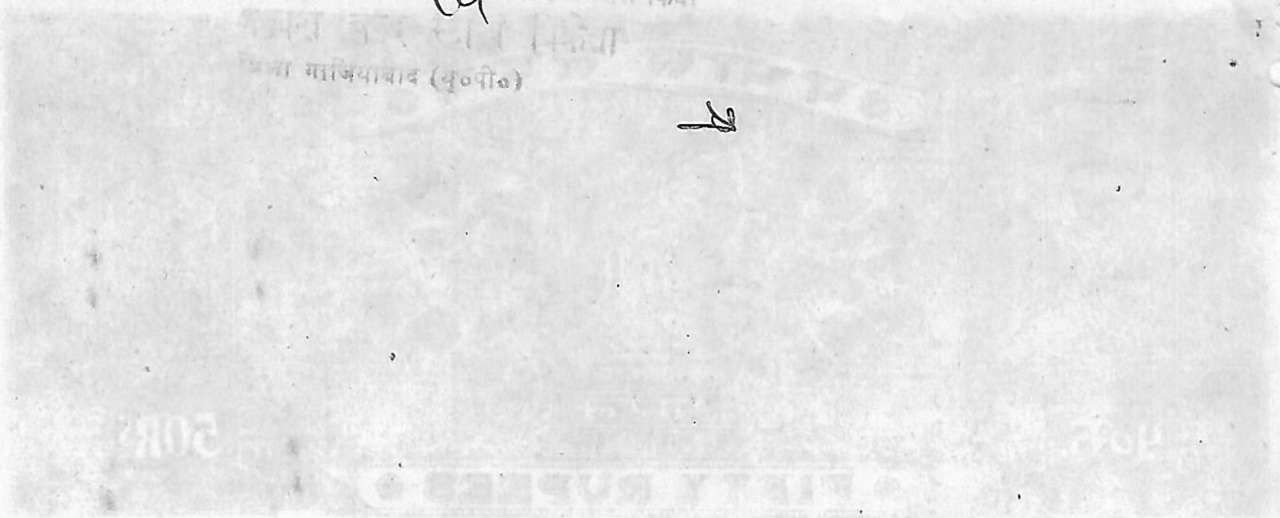

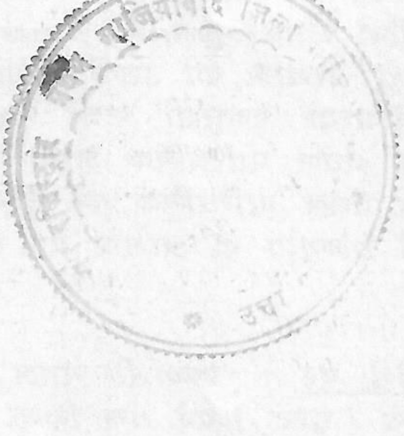

50 Rs.

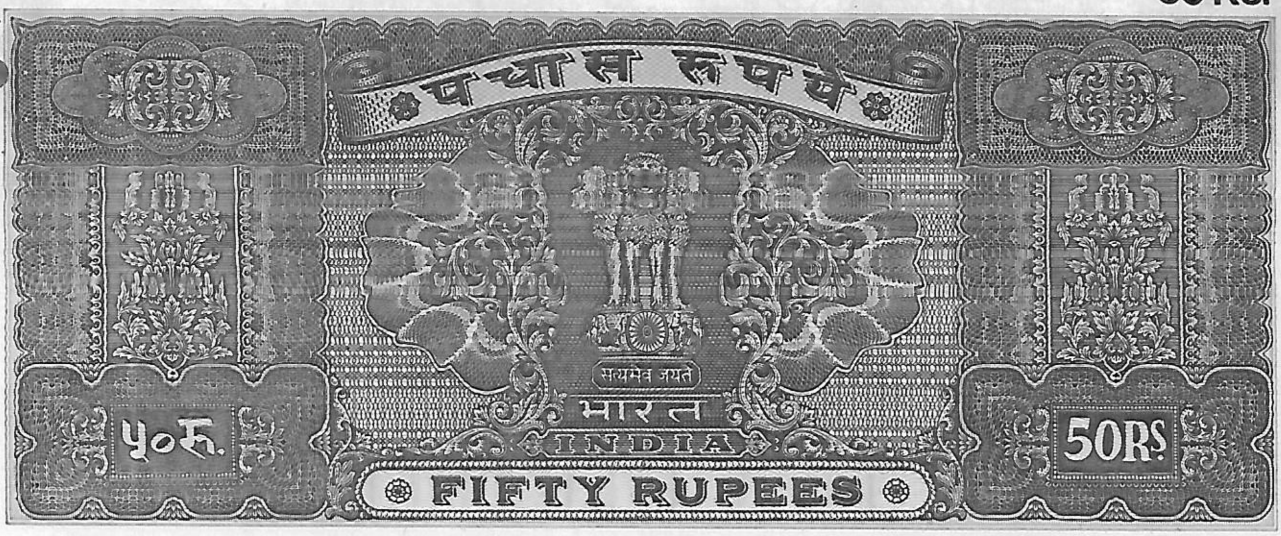

10. <u>कुछ अन्य नियम</u> :

10.1 प्रन्यासी गण अपने में से अध्यक्ष का निर्वाचन करेगें सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा । परन्तु नया निर्वाचन होने तक यह कार्य करेगें अध्यक्ष के अधिकार और दायित्व का निणर्य प्रन्यासी मंडल करेगा

10.2 प्रन्यासी गण अपने मध्य से अवैतनिक मंत्री का निर्वाचन करेगें । मंत्री के कार्यकाल उसके अधिकार उसके दायित्व आदि का निश्चिय प्रन्यासी मंडल समय-समय पर निश्चित करेगा ।

10.3 प्रन्यासी मंडल अपने में से एक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन करेगें यह कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह न्यास के हिसाब किताब को उचित ढंग से रखे । हिसाब-किताब से सम्बन्धित सम्पूर्ण आलेखों तथा कागजों को वह उचित ढग से रखेगा तथा प्रति वर्ष प्रन्यासी मंडल द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार से हिसाब किताब का अकेक्षण कराकर प्रन्यासी मंडल के समक्ष रखेगा ।

10.4 प्रन्यासी मंडल संस्थान के दिन-प्रतिदिन के उचित प्रबन्ध के लिए आवश्यकतानुसार किसी योग्य व्यक्ति को पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त कर सकेगा । प्रबन्धक के कार्यकाल तथा वेतन/मान-धनऔर उसके कार्य से स्वयं तथा दायित्व का निश्चिय प्रन्यासी मंडल करेगा ।

10.5 न्यास का धन किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी/शडयूल्ड बैंक में रखा जायेगा । खाते के संचालन का अधिकार न्यास के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा मंत्री को संयुक्त रुप से रहेगा । इनमें से किन्ही दो के हस्ताक्षरों से धन निकाला जा सकेगा ।

10.6 प्रन्यासी मंडल संस्थान के हिसाब की जांच के लिए निश्चित अवधि के लिए सनदी लेखाकार के नियुक्ति करेगा तथा उसके कार्य के लिए पारिश्रमिक मानधन भी निश्चित करेगा ।

Pratap Kumar Mittal

4 10/3/91

14

50 Rs.

10.7 संस्थान द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त न्यायिक कार्य मंत्री द्वारा संचालित होगें संस्था की सम्पत्ति का कृय विकृय अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र पर संस्था की ओर से मंत्री तथा एक प्रन्यासी जिसको प्रन्यासी मंडल मनोनीत करेगा, के हस्ताक्षर होगें ।

10.8 संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मंडल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जब तक उत्तरदायी नही माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नही होगा कि उसने निहित स्वार्थवत जानबूझकर संस्था को हानि पहुँचायी है ।

10.9 संस्था के नियमों आदि की परिभाषा के सन्दर्भ में उत्पन्न विवाद मे प्रन्यासी मंडल का निर्णय सभी को मान्य होगा और अन्तिम होगा ।

11. बैठक : प्रन्यासी मंडल की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होगी ।

विशेष : ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी और प्रन्यासी पर्यावाची शब्द हैं ।

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मैं प्रताप कुमार मित्तल निवासी बी-137, अशोक नगर, गाजियाबाद ,इस न्यास की घोषण करता हूँ ।

स्थान : गाजियाबाद

दिनांक : 16.03.99

साक्षी :

हस्ताक्षर

Pratap Kumar Mittal

1. शरद कुमार, बी-137, अशोक नगर, गा0बाद।

VIVEK MITTAL

2. विवेक मित्तल,(एडवोकेट) , के.ई.-81, नया कवि नगर, गा0बाद।

टाईपकर्ता : मानसिंह

20 16/3/99

W ....में शामिल किया

चन्द स्टाम्प विक्रेता

KIND ATTENTION - MR. D.K. SINGH

बही नं० IV जिल्द 706 ... 264/271 ... 430

दिनांक 16/3/99

गाजियाबाद ।

जितेन्द्र कुमार शर्मा

IV 375/2001

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

23 APR 2001

37/36

पूरक पत्र :::::::::::::
:::::::::::::::::::

विदित हो कि दिनांक 16/3/1999 ई0 को एक सार्वजनिक न्यास ।ट्रस्ट।

का अनुबन्ध पत्र सब रजिस्टरी कार्यालय प्रथम गाजियाबाद में बही नम्बर-1

जिल्द 706 के पेज 264/271 जिसका नम्बर- 430 था दिनांक 16/3/1999 ई0

को रजिस्टर्ड हुआ था मैसर्स सेठ मुसद्दी लाल चेरिटेबिल ट्रस्ट गाजियाबाद

का था । उक्त अनुबन्ध पत्र में नियम संख्या- 10.10 एवम् 10.11 को बढाने

के लिए यह पूरक पत्र लिखा जा रहा है । -

10.10 -: न्यास के उद्देश्यो एवं सहायक उद्देश्यो की पूर्ति के लिए न्यास

Pratap Kumar Mittal

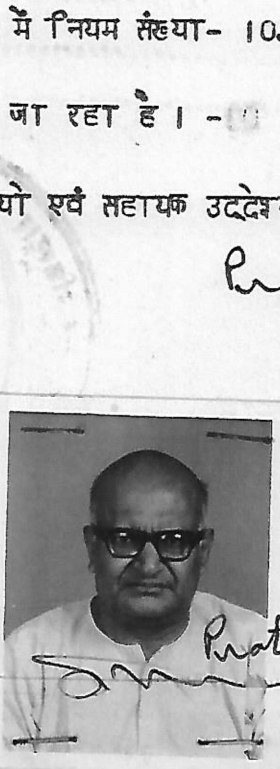

Pratap Kumar Mittal

क्र०... 15 ता० 30/4 ... रु० 100/- ...
स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 137
मूलचन्द ... स्टाम्प विक्रेता
तह० कम्पाउन्ड गाजियाबाद

मै० सेठ मुसद्दीलाल चैरिटेबिल ट्रस्ट ...

[illegible]

100-   10-   110-   600

रजि० शुल्क ...... प्रतिलिपि शुल्क ...... योग

श्री ...... प्रताप कुमार मित्तल
पुत्र श्री ...... [illegible]
निवासी ...... D-137 कवि नगर गा-बाद
ने यह लेखपत्र कार्यालय उप निबन्धक-I गाजियाबाद में आज
दिनांक ...... समय ... 12 ... बजे प्रस्तुत किया।
30/4/2001

30.4.2001
उप निबन्धक-I
गाजियाबाद

Pratap Kumar Mittal

23 APR 2001

~~ने लेखपत्र के निष्पादन एवं इसमें लिखे मजमून को~~ ......
~~...~~ ......
~~...~~ ......
~~...~~ ...... श्री ... प्रताप कुमार मित्तल
......
......
है व जिनकी शिनाख्त
श्री ......
पुत्र श्री ......
निवासी ......
ने स्वीकार किया।

उप निबन्धक प्रथम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद
सत्यमेव जयते

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

23 APR 2001

-::- 2 -::-

-::- 2 -::-

किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था या बैंक आदि से धन उधार ले

किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था या बैंक आदि से धन उधार ले

सकेगा, वापिस कर सकेगा एवं ब्याज आदि का भुगतान कर सकेगा ।

सकेगा, वापिस कर सकेगा एवं ब्याज आदि का भुगतान कर सकेगा ।

Pratap Kumar Mittal

Pratap Kumar Mittal

16 30/4 15 200

इस हैसियत का निष्पादन पर्व इसमें लिखे जानेवाले
रुपये ......
जिसमें से ......
पूर्ण/अंशतः ...... पाया तथा श्री ......
......
......
मैं ने हैसियत ...... है
श्री ......
पुत्र श्री ......
निवासी ......
ने प्रमाणित किया।

पहचान श्री [redacted] मित्तल
पुत्र श्री [redacted]
निवासी KE 84 कविनगर गा०बाद
व श्री विवेक कुमार मित्तल
पुत्र श्री प्रतापकुमार मित्तल
निवासी KE-कविनगर गा०बाद
द्वारा की गई।

30.4.2001

उप निबन्धक
गाजियाबाद

Pratap Kumar Mittal

Vivek Mittal
Adv.

निष्पादक साक्षी के निशानी अंगूठा निष्पादक
लिये गये जो देखने में सही प्रतीत होते हैं।

30.4.2001

रजिस्ट्रीकर्ता निबंधक अधिकारी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

23 APR 2001

-::- 3 -::-

10. 11-: ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री शरद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री के0के0 अग्रवाल निवासी- आर- डी- 57, राजनगर गाजियाबाद को प्रन्यासी मनोनीत किया जाता है।

अतः यह पूरक पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे इति।

Pratap Kumar Mittal

17 30/4

इन्चार्ज सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

50 Rs.

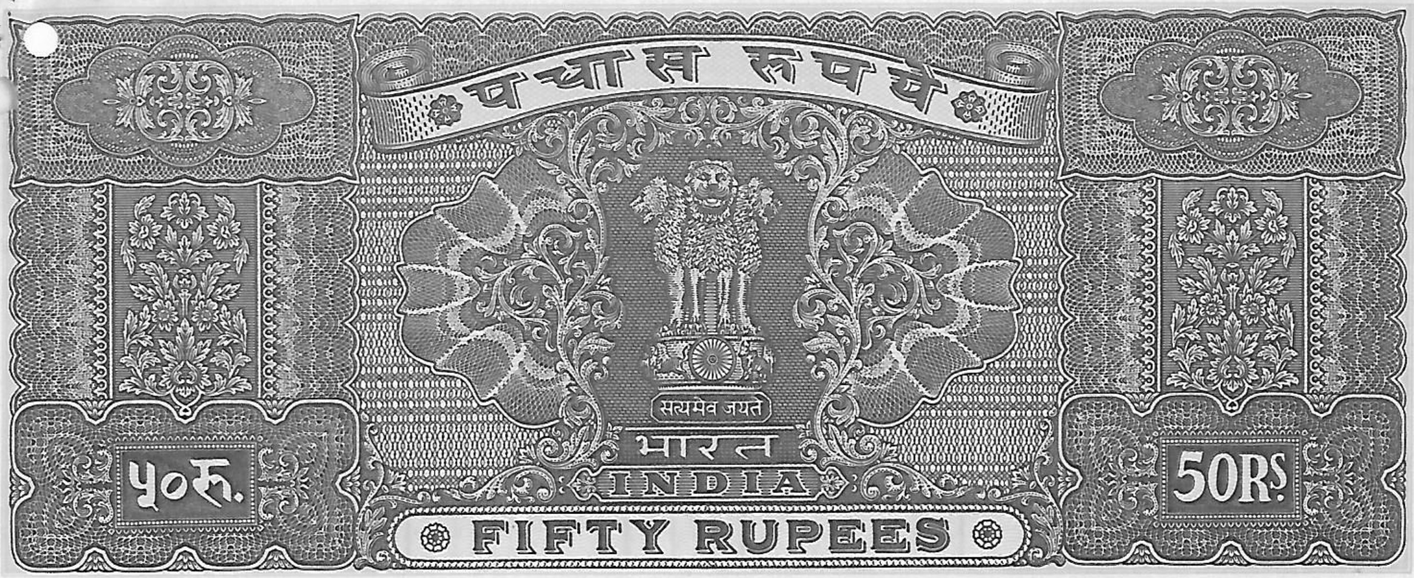

-::- 4 -::-

मै प्रताप कुमार मित्तल पुत्र श्री रामकिशन दास निवासी- डी-137, अशोक नगर गाजियाबाद इस पूरक पत्र पर न्यास के निर्माणकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर करता हूँ :-

Pratap Kumar Mittal

गवाह नं0-1- विवेक कुमार मित्तलएडवोकेट गाजियाबाद ।

गवाह नं0-2- जितेन्द्र कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक गाजियाबाद।

दिनांक 30/4/2001 ई0 मसौदा जितेन्द्र कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक गाजियाबाद

जितेन्द्र कुमार शर्मा
दस्तावेज लेखक
तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

क्र० VI सं० 3014/45 पृ० 831 बाब
[illegible]
मूल्य [illegible]
[illegible] गाजियाबाद

बही नं० I पुस्त० जिल्द नं० 748 के पृष्ठ 294/286 क्रमांक 375
पर आज दिनांक 30/4/2001 को रजिस्ट्री की गई।

Chandeep
उप नि०
गाजियाबाद

उप निबन्धक प्रथम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद
सत्यमेव जयते

IV - 1116

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

TREASURY OFFICE GHAZIABAD

14 MAY 2018

Chief Treasury Officer

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883752

दस्तावेज लेखक एसोसिएशन गाजियाबाद

Third Trust Deed

Stamp : Rs. 800

Name of Trust - **M/s Seth Mussadi Lal Charitable Trust,**

Ghaziabad

Registered Office of the Trust - **RDC 56-57, Raj Nagar, Ghaziabad**

This Amendment is made at Ghaziabad on this 22nd day of May 2018 by Mr. Pratap Kumar Mittal S/o Late Shri Ram Krishan Das R/o B-137, Ashok Nagar, Ghaziabad to give effect the resolution passed on dated 07.05.2018.

WHEREAS a public Charitable Trust by name **'SETH MUSSADI LAL CHARITABLE TRUST'** was brought into existence on 16.03.1999, by means of a Deed of Trust, registered vide Document No.430 of 264/271 of Jild No. 706 of Book IV in the office of the Sub Registrar, Ghaziabad. With reference to this original trust deed, a supplementary trust deed called second trust deed was made which was registered on dated 30.04.2001 vide Document No.375 of 294/296 of Jild No. 748 of Book IV in the office of the Sub Registrar, Ghaziabad.

Pratap Kumar Mittal

Sarika

Sarika

21 MAY 2018

क्रम संख्या 04 .... तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...... मोरिका मित्तल w/ शलभ कुमार मित्तल ग़ाज़

....

स्टाम्प की धनराशि 100

प्रदीप गोयल – स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 22

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 2011

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

न्यास पत्र

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 300

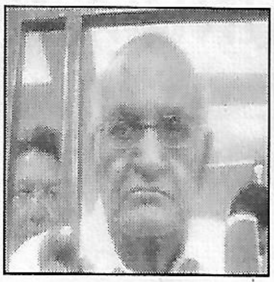

श्री प्रताप कुमार मित्तल , Pratap Kumar Mittal

पुत्र श्री स्व राम किशन दास

व्यवसाय : अन्य

निवासी: बी-137 अशोक नगर गाजियाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/05/2018 एवं 01:48:59 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मन्जूर अहमद प्रभारी

उप निबंधक :सदर द्वितीय

गाजियाबाद

उप रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY OFFICE GHAZIABAD
14 MAY 2018
Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883753

WHEREAS the settlor of original trust deed **Mr. Pratap Kumar Mittal** has expressed his unwillingness in working as a settlor of the trust due to his ill health and submitted his resignation to the trust. Which was accepted by the trust and he was relieved from the trust. **Mrs. Sarika Agarwal** W/o Mr. Shalabh Kumar Agrawal R/o RDC-57, Raj Nagar, Ghaziabad in now introduced in the trust as Settlor with the consent of all trustee in place of Mr. Pratap Kumar Mittal.

Pratap Kumar Mittal

Sarika

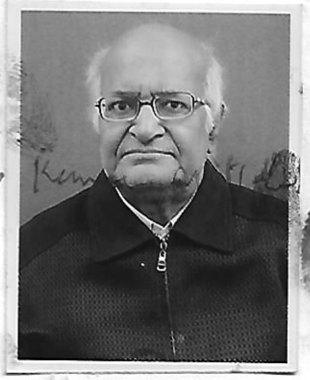

Pratap Kumar Mittal

21 MAY 2018

क्रम संख्या 05 ....तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता. सारिका अग्रवाल W/ शलभ कुमार अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि 100

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसैंस नम्बर 22

लाईसैंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रताप कुमार मित्तल, पुत्र श्री स्व राम किशन दास

निवासी: बी-137 अशोक नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य Pratap Kumar Mittal

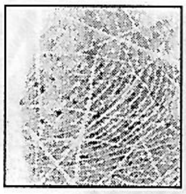

न्यासी 2: 1

श्रीमती सारिका अग्रवाल, पत्नी श्री शलभ कुमार अग्रवाल

निवासी: आर डी सी 57 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य Sarika

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शलभ कुमार अग्रवाल , पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल

निवासी: आर डी सी 57 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री शरद कुमार अग्रवाल , पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल

निवासी: आर डी सी 57 राज नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मन्जूर अहमद प्रभारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गाजियाबाद

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

14 MAY 2018

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883754

WHEREAS **Mrs. Beena Agarwal** also expressed her inability to continue as the trustee of the trust and she also submitted her resignation to the trust which was accepted by the trust and she was relieved from the trust.

Pratap Kumar Mittal

Zarika

21 MAY 2018

क्रम संख्या 06 तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सारिका अग्रवाल w/ शलभ कुमार अग्रवाल नि०

स्टाम्प की धनराशि 100

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसैंस नम्बर 22

लाईसैंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

सदर सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY OFFICE GHAZIABAD 14 MAY 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883755

Now WHEREAS **Mrs. Sarika Agarwal** W/o Mr. Shalabh Kumar Agrawal R/o RDC-57, Raj Nagar, Ghaziabad and **Mrs. Poonam Agarwal** W/o Mr. Sharad Kumar Agarwal R/o RDC-56, Raj Nagar, Ghaziabad has been nominated as trustee.

WHEREAS the Founder Trustee now further feels that certain clauses have to be amended in the Trust Deed.

Pratap Kumar Mittal

Sarika

21 MAY 2018

क्रम संख्या...... 07 ......तिथि......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...... सारिका अग्रवाल W/ शलभ कुमार अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि...... 100 ......

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 22

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 MAY 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883756

NOW THIS CODICIL / AMENDMENT TO THE TRUST DEED WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. Clause 2 of Original Trust deed regarding registered office of the trust has been amended due to shifting of office from B-137, Ashok Nagar, Ghaziabad to RDC-56-57, Raj Nagar, Ghaziabad-201002.
2. That the term ' Mantry' will be replaced with the term ' Secretary' .
3. With reference to change in clause 10.5 of original trust deed that the bank accounts of trust will be opened by Chairman and Secretary jointly. The bank accounts of the schools/ institutes of the trust will be operated by either jointly or severally by Chairman and Secretary as per the resolution passed in the board of trustees.
4. Clause 10.7 of original trust deed will now we read as under-

Pratap Kumar Mittal

Sarika

21 MAY 2018

क्रम संख्या 02 तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सारिका अग्रवाल w/ शलभ कुमार अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि 100

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 22

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

उप निबंधक द्वितीय गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

TREASURY OFFICE GHAZIABAD

14 MAY 2018

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883757

Any legal matter relating to trust will be looked after by the Chairman/ secretary or by any other trustee/ person appointed by the Chairman / Secretary.

5. A new clause 10.10 has been inserted as under-

   The trust can borrow the fund from any bank/ financial institutions / person on the terms and conditions which deems fit in favour of the trust by the Chairman/ Secretary and for this purpose documents will be execute by the Chairman and Secretary jointly.

   That the Trust was started with an amount of Rs. 11,000/-

Pratap Kumar Mittal

Sarika

21 MAY 2018

क्रम संख्या........09........तिथि..................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......सरिता अग्रवाल W/O शलभ कुमार अग्रवाल

....

स्टाम्प की धनराशि..........100..........

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 22

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY OFFICE GHAZIABAD
14 MAY 2018
Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ED 883758

I , **Sarika Agarwal** W/o Mr. Shalabh Kumar Agrawal R/o RDC-57, Raj Nagar, Ghaziabad do hereby given my consent for the above said amendment in the trust deed and also accept the responsibility of Settlor and trustee .

IN WITNESS WHEREOF THE SETTLOR has hereunto set his hands on the 22nd day, May 2018 above written.

21 MAY 2018

क्रम संख्या 10 तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सारिका अग्रवाल w/ शलभ कुमार अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि 100

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 22

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20

चैम्बर नं0 44, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 550 के पृष्ठ 117 से 140 तक
क्रमांक 1116 पर दिनाँक 23/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मन्जूर अहमद प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गाजियाबाद

उप निबंधक सदर द्वितीय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

TREASURY OFFICER GHAZIABAD

14 MAY 2018

Chief Treasury Officer

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 883759

Witness:

1\.

Mr. Shalabh Kumar Agrawal

S/o Shri Krishan Kumar Agarwal

R/o RDC-57, Raj Nagar, Ghaziabad

(Sarika Agarwal)

New Settlor

2\.

(Pratap Kumar Mittal)

Old Settlor

Mr. Sharad Kumar Agarwal

S/o Shri Krishan Kumar Agarwal

R/o RDC-57, Raj Nagar,

Ghaziabad

Drfted by : RAMANAND GOEL, Document Writer, Chamber No. 52-A, Tehsil Compound, Ghaziabad.

21 MAY 2018

क्रम संख्या 11 .... तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता सारिका अग्रवाल w/ शलभ कुमार अग्रवाल R/L

....

स्टाम्प की धनराशि 100

प्रदीप गोयल - स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 22

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 20 11

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रताप कुमार मित्तल, पुत्र श्री स्व राम किशन दास

निवासी: बी-137 अशोक नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी 2: 1

श्रीमती सारिका अग्रवाल, पत्नी श्री शलभ कुमार अग्रवाल

निवासी: आर डी सी 57 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शलभ कुमार अग्रवाल , पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल

निवासी: आर डी सी 57 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री शरद कुमार अग्रवाल , पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल

निवासी: आर डी सी 57 राज नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मन्जूर अहमद प्रभारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गाजियाबाद

प्रिंट करें